

क्रमांक:- एफ.4 (एन 596/88)लिंक नं 6025/ अलेसे 11/18344-48

दिनांक 13/01/14

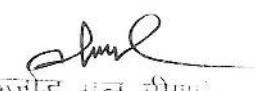
कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एराबौड सिविल डि. डि. नं 18781/2013 में दिनांक 12.11.2013 को दिये गये निर्णय की मानना के अन्तर्गत सिंह राठौड लेखाकार (मेरिट नं 596/88 लिंक नं 6025) को जिला परिवहन अधिकारी चूरु से उपकोषाधिकारी नोहर, जिला हनुमानगढ़ में विभागीय आदेश एफ 3(ख)अलेसे 11/18062-75 दिनांक 17.12.2013 से स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप जिला परिकान अधिकारी चूरु द्वारा श्री नन्दलाल सिंह राठौड लेखाकार अभी तक कार्यमुक्त नहीं किये जाने के कारण श्री नन्दलाल सिंह राठौड लेखाकार को सीधे निदेशालय स्तर से कार्यमुक्त कर निर्देश दि जाते है कि वे अपनी उपस्थिति नवपदस्थापित कार्यालय में देवें ।


(दीरवाला जोशी)
निदेशक
कोष एवं लेखा,

क्रमांक:- एफ.4 (एन 596/88)लिंक नं 6025/ अलेसे 11/18344-48 दिनांक 13/01/14
प्रतिलिपि :-

1. कोषाधिकारी चूरु को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि वे माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में श्री नन्दलाल सिंह राठौड लेखाकार का आगामी माह का वेतन भुगतान नहीं किया जावे ।
2. कोषाधिकारी हनुमानगढ़
3. उपकोषाधिकारी नोहर जिला हनुमानगढ़ को भेजकर लेख है कि वे नन्दलाल सिंह राठौड लेखाकार के कार्यग्रहण की सूचना फैंक्स/ ईमेल के माध्यम से अविलम्ब भिजवावे
4. जिला परिवहन अधिकारी चूरु
5. श्री नन्दलाल सिंह राठौड लेखाकार मेरिट नं 596/88 लिंक नं 6025 को प्रालय जिला परिवहन अधिकारी चूरु को अनुपालनार्थ


(कज्जोड मल मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक प्रथम)
कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर